Upliftment of educationally backward areas of U.P.

6121. DR. MURLI MANOHAR JOSHI:

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what are the schemes submitted by the U.P. Government in November 1993 for the upliftment of 13 educationally backward areas with minority population; and

(b) what is the present status of each of the schemes and by when Government's approval is likely to be given for the scheme?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION & DEPTT. OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) and (b) The Uttar Pradesh Government had proposed establishment of Non-Formal Education (NFE) centres, construction of girls' hostels and assistance to madarsas under the schemes of Area Intensive Programme for backward minorities and Modernisation of Madarsa Education. Proposals for construction of hostels for 8 girls' schools, assistance for 50 NFE centres and assistance for 10 madarsas were approved. Grants amounting to Rs. 45 lakh under the Area Intensive Programme and Rs. 3.04 lakh under the scheme of Modernisation of Madarsa Education were released to the Government of Uttar Pradesh for the approved programmes during the year 1993-94.

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की आय के स्रोतों में वृद्धि

6122. श्री शारदा महन्ती :
श्री सोम पाल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की आय के स्रोतों में वृद्धि करने के लिए कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस योजना को लागू करने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ग) इससे तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान को क्या लाभ होगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) सरकार ने हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के वित्तपोषण की नई पद्धति अनुमोदित की है जिसके अन्तर्गत अनुदान का योजनेत्तर घटक वित्तीय वर्ष 1993–94 से संशोधित अनुमान 1992–93 जमा तत्संबंधी 10% के स्तर पर निर्धारित किया गया है जो, आठवीं योजना की शेष अवधि के लिए जारी रखा जाएगा। सरकार, संस्थानों द्वारा की गई योजनेत्तर बचतों तथा साथ ही राजस्व प्राप्तियों, परामर्श और सतत् शिक्षा कार्यक्रमों से उतनी शुद्ध आय जितनी अक्षयनिधि को अन्तरित की जाए, पर 100 प्रतिशत तक की सीमा तक के बराबर देगी। वर्ष 1993–94 के दौरान योजनेत्तर के तहत, नियमों के अन्तर्गत तथा अनुमन्य अतिरिक्त निधियों की निर्मुक्ति सहित इस स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए पहले ही कदम उठाए गए हैं। यह परिकल्पित है कि इस प्रकार सृजित अक्षयनिधि से संस्थनों को और अधिक वित्तो